XIV-Form No. 563.

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

राजस्व अपील वाद संख्या 121/2005

(धारा 48 (एफ0) बी0टी0 एक्ट अंर्तगत)

फौदी दास, पिता–राम बहादुर दास
सा0– मधुबन, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ.....आवेदक

बनाम

सिंधेश्वर पाण्डेय, पिता–स्व0 रामचन्द्र पाण्डेय एवं अन्य सभी का
साकिन–मधुबन, थाना–जानकीनगर, पूर्णियाँ .....विपक्षीगण

आ दे श

आवेदक विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा प्रश्नगत भूमि मौजा मधुबन खाता नं0–303, खेसरा नं0 1312, रकवा 1.14 डिसमल, खाता नं0–282, खेसरा नं0–1288, रकवा–29 डि0 एवं खेसरा नं0–1281, रकवा 87 डिसमल जमीन में वाद संख्या 43/2003–04 में दिनांक 20.06.2005 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दायर किया है। आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत जमीन उसके दादा स्व0 लड्डू दास के नाम से सिकमी दर्ज है। लड्डू दास के मृत्यु के बाद आवेदक के पिता राम बहादुर दास प्रश्नगत भूमि पर खेती करने लगे और वर्त्तमान में आवेदक खेती कर रहा है। इस आधार पर आवेदक ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी के न्यायालय में बटाई हक के लिए वाद संख्या 43/03–04 दाखिल किया। किन्तु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने बिना जांच और वास्तविक स्थिति को जाने बगैर उक्त वाद को दिनांक 20.06.2005 को खारिज कर दिया। अतः आवेदक निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं तथ्यों के आधार पर बटाईहक के लिए इस न्यायालय में यह अपील किया है।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा बटाई हक के लिए किया गया मुकदमा आधारहीन है क्योंकि प्रश्नगत जमीन कभी भी आवेदक के दखल में नहीं रहा है। सर्वे के दौरान कर्मचारी के भूल से आवेदक के दादा के नाम से सिकमी दर्ज हो गया, लेकिन नाम दर्ज होने के उपरान्त भी कभी भी न तो आवेदक के दादा, न पिता और न ही आवेदक ने खेती किया। प्रश्नगत जमीन का कुछ भाग भिन्न–भिन्न लोगों के नाम भी विपक्षी(भू–स्वामी) ने ब्रिकी किया है और खरीददार शान्तिपूर्ण ढंग से दखलकार भी है। कुछ खरीददारों ने अपना घर भी प्रश्नगत जमीन पर बनाया है। अतः आवेदक द्वारा

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

दाखिल किया गया यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं है। अतः आवेदक द्वारा किए गए उक्त अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों को दिनांक 28.02.2011 को सुना गया। गत दो तिथियों में अंतिम मौका देने के बावजूद भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे पूर्व से विवादित जमीन का सिकमी रहे हैं। परन्तु इस पर विचार न कर एवं समझौता परिषद् के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उस पर भी विचार न कर विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी के द्वारा आदेश पारित किया गया है। जो गलत है एवं विधि–सम्मत नहीं है।

निम्न न्यायालय का पारित आदेश विधि–सम्मत नहीं है एवं विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा विधिवत नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए इस अपील वाद को स्वीकृति देते हुए विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी के आदेश को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ